

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

626

एस0ओ0.....दिनांक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	2	3	4
	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	जुलाई, 2020	336
		अगस्त, 2020	338
		सितम्बर, 2020	340.13
		अक्टूबर, 2020	344.16
		नवम्बर, 2020	345.31
		दिसम्बर, 2020	342.14
		कुल	2045.74
		छः माह का औसत	$\frac{2045.74}{6} = 340.95$
		24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात्	301
		प्रतिशत वृद्धि $\frac{40 \times 100}{301}$	$= 13.29\%$ की वृद्धि

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त अनुसूची सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2020 (वर्ष 2020 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.04.2021 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम0डबलू0-2071/2010, श्र0नि0- 511 राँची, दिनांक 13/04/2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2538
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

628

एस0ओ0.....दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/ एम0डबलू0-2071/2010, श्र0नि0- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

238
13/4/21
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../ dated/ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand	July, 2020	336
		August, 2020	338
		September, 2020	340.13
		October, 2020	344.16
		November, 2020	345.31
		December, 2020	342.14
		Total-	2045.74
		Average	$\frac{2045.74}{6} = 340.95 = 341$
		Revised/fixed Price Index No on-24.10.2019	301 Point
		Percentage Increase	$= \frac{341-301}{301} \times 100 = 13.29\%$

(624)

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2020, which is 2nd half of 2020, will be payable from 01-04-2021

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 512 Ranchi, Dated 13/04/2021]

By Order of the Governor of Jharkhand,

2538
13/4/21
Under Secretary to Government

ज्ञापांक-2/एम0डबलू0-2071/2010,श्र0नि0- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2538
13/4/21
सुरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबलू0-2071/2010,श्र0नि0- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2538
13/4/21
सुरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबलू0-2071/2010,श्र0नि0- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2538
13/4/21
सुरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर, 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दे रहे निर्धारित की गई है।	जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिसपर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (5-4)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब परिवर्तन महंगाई भत्ता की राशि देने होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	अधिसूचना सं०-1879 दिनांक-24.10.2019	301	341	40	क) ₹0 294.44 पर ₹0 39.13 प्रतिदिन ख) ₹0 314.07 पर ₹0 41.73 प्रतिदिन ग) ₹0 405.68 पर ₹0 53.91 प्रतिदिन घ) ₹0 471.11 या अधिक ₹0 62.61 प्रतिदिन	दिनांक:- 01.04.2022
						मासिक	
						क) ₹0 7655.44 पर ₹0 1017.40 प्रतिमाह ख) ₹0 8165.82 पर ₹0 1085.23 प्रतिमाह ग) ₹0 10547.66 पर ₹0 1401.78 प्रतिमाह घ) ₹0 12248.86 या अधिक 1627.87 प्रतिमाह	

(संख्या-1/एम0डब्ल्यू0-28/2017, श्रोनि0- 511 राँची, दिनांक 13.04.2022।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव।



Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July-December, 2020 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	"Employments of workers engaged in Government offices/ undertakings/ Boards & Local Bodies in the State of Jharkhand	Notification No-1879, 1482 Date 24-10-2019	301	341	40	(a) On Rs. 294.44 Rs. 39.13 per day (b) On Rs. 314.07 Rs. 41.73 per day (c) On Rs. 405.68 Rs. 53.91 per day (d) Rs. 471.11 and above Rs. 62.61 per day Monthly (a) On Rs. 7655.44 Rs. 1017.40 per month (b) On Rs. 8165.82 Rs. 1085.23 per month (c) On Rs. 10547.68 Rs. 1401.78 per month (d) Rs. 12248.86 and above Rs. 1627.87 per month	From 01-04-202

No-1/MMW-28/2017, L & T-512

Ranchi, Dated 13.04.2021
By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary to Government